न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विष्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-689RAABarmer2025-61RTA223 Abdul Kudus ors Vs Gulam etc
2025-690RAABarmer2025-62RTA223 Abdul Kudus ors Vs Gulam etc

01. अब्दुल कुदूस पुत्र यार मोहम्मद
02. अब्दुल सबीर पुत्र यार मोहम्मद
03. अली मोहम्मद पुत्र यार मोहम्मद
04. मुजीब खां पुत्र यार मोहम्मद
05. मोहम्मद रफीक पुत्र यार मोहम्मद
06. मोहम्मद सदीक पुत्र यार मोहम्मद
07. जमाला खातुन पत्नी अब्दुल हकीम

कौम–मूसलमान निवासी – बड़ली माण्डा, तहसील– पोकरण जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. गुलाम पुत्र मीरे खां
2. बिसमिला पत्नी इस्माइल खां
3. रहमतुला पुत्र गुलाम खां
4. अब्दुल रफउ पुत्र खेरदीन
5. अरशद पुत्र रसीद अहमद
6. अरसद अलीं पुत्र खेरदीन
7. अहमद पुत्र रसीद अहमद
8. आमुना खातु पत्नी अब्दुल रहीम
9. इब्राहिम पुत्र सफी मोहम्मद
10. इलमदीन पुत्र साले खां
11. कादर खां पुत्र हाजी मीर खा
12. कासम खां पुत्र हुसैन खां
13. चन्दा खातु पत्नी इस्माईल खां
14. जमालदीन पुत्र हाजी मीर खां
15. जलु पत्नी खलील अहमद
16. जानमोहम्मद पुत्र सफीमोहम्मद
17. दीने खां पुत्र साले खां
18. दीनमोहम्मद पुत्र हाजी मीर खां
19. फातमा खातुन पत्नी अब्दुला
20. मुजीब पुत्र मोहम्मद
21. मोहम्मद इकबाल पुत्र हासम खां
22. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद
23. मोहम्मद मारूफ पुत्र हाजी मीरखान
24. मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी मीरखान
25. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद
26. मोहम्मद अली पुत्र नेकुखां
27. मोहम्मद पुत्र रसीद अहमद
28. यारू खां पुत्र साले खां
29. रईसदीन पुत्र खेरदीन
30. रफीक पुत्र खेरदीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

31. रहमत खातु पत्नी हासम खां
32. सहीदउल्ला पुत्र मोहम्मद
33. हफीजों पुत्री हुसैन खां
34. हबीबुल्ला पुत्र मोहम्मद
    कौम–मुसलमान निवासी – बड़ली माण्डा, तहसील– पोकरण जिला – जैसलमेर
35. श्री तहसीलदार पोकरण तहसील– पोकरण जिला – जैसलमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2025 (08.02.2025) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण राजस्व मूल वाद संख्या 40/2024 अनवान गुलाम व अन्य बनाम अब्दुल कुदुस इत्यादि

उपस्थित–
श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

02. 2025-690RAABarmer2025-62RTA223 Abdul Kudus ors Vs Gulam etc
    01. अब्दुल कुदूस पुत्र यार मोहम्मद
    02. अब्दुल सबीर पुत्र यार मोहम्मद
    03. अली मोहम्मद पुत्र यार मोहम्मद
    04. मुजीब खां पुत्र यार मोहम्मद
    05. मोहम्मद रफीक पुत्र यार मोहम्मद
    06. मोहम्मद सदीक पुत्र यार मोहम्मद
    07. जमाला खातुन पत्नी अब्दुल हकीम
        कौम–मूसलमान निवासी – बड़ली माण्डा, तहसील– पोकरण जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. गुलाम पुत्र मीरे खां
2. बिसमिला पत्नी इस्माइल खां
3. रहमतुला पुत्र गुलाम खां
4. अब्दुल रफउ पुत्र खेरदीन
5. अरशद पुत्र रसीद अहमद
6. अरसद अलीं पुत्र खेरदीन
7. अहमद पुत्र रसीद अहमद
8. आमुना खातु पत्नी अब्दुल रहीम
9. इब्राहिम पुत्र सफी मोहम्मद
10. इलमदीन पुत्र साले खां
11. कादर खां पुत्र हाजी मीर खा
12. कासम खां पुत्र हुसैन खां
13. चन्दा खातु पत्नी इस्माईल खां
14. जमालदीन पुत्र हाजी मीर खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

15. जलु पत्नी खलील अहमद
16. जानमोहम्मद पुत्र सफीमोहम्मद
17. दीने खां पुत्र साले खां
18. दीनमोहम्मद पुत्र हाजी मीर खां
19. फातमा खातुन पत्नी अब्दुला
20. मुजीब पुत्र मोहम्मद
21. मोहम्मद इकबाल पुत्र हासम खां
22. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद
23. मोहम्मद मारूफ पुत्र हाजी मीरखान
24. मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी मीरखान
25. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद
26. मोहम्मद अली पुत्र नेकुखां
27. मोहम्मद पुत्र रसीद अहमद
28. यारू खां पुत्र साले खां
29. रईसदीन पुत्र खेरदीन
30. रफीक पुत्र खेरदीन
31. रहमत खातु पत्नी हासम खां
32. सहीदउल्ला पुत्र मोहम्मद
33. हफीजों पुत्री हुसैन खां
34. हबीबुल्ला पुत्र मोहम्मद

कौम–मुसलमान निवासी – बड़ली माण्डा, तहसील– पोकरण जिला – जैसलमेर

35. श्री तहसीलदार पोकरण तहसील– पोकरण जिला – जैसलमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 नवंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण राजस्व मूल वाद संख्या 40/2024 अनवान गुलाम व अन्य बनाम अब्दुल कुदुस इत्यादि

उपस्थित–
श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 25 मार्च 2026

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2024 अनवान गुलाम व अन्य बनाम अब्दुल कुदुस इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2025(08.02.2025) एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 नवंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः दिनांक 15 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील संख्या 62/2025 के अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति, पक्षकारान् समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील के साथ एक–एक निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1199 रकबा 153.1861 हैक्टेयर ग्राम पोकरण तहसील पोकरण में निहित अपने हिस्से की भूमि का सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2025(28.02.2025) के जरिये वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 61/2025 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 नवंबर 2025 के पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील संख्या 62/2025 प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दोनो अपीलो में अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुने बिना, वादपत्र के विधिक औचित्य पर बिना अपीलान्टगण का पक्ष लिये, बिना विस्तृत जबाबदावा आये, दावा व जबाबदावा के आधार विवाद्यक कायम किये बिना व बिना विवाद्यकों पर दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये, बिना साक्ष्यों का परीक्षण करवाये, आरग्यूमेन्ट (बहस) पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीलान्टगण व उनके वकील की अनुउपस्थिति में पत्रावली का बिना अवलोकन किये आनन–फानन में वादीगण के प्रभाव में रहकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जल्दबाजी से एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर पारित किये गये है। वादीगण द्वारा दावा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जिसमें वादपत्र के किसी भी पैरा में अपने हिस्से में बनने वालें रकबे एवं लगान का उल्लेख नही किया है। वादपत्र के अवलोकन से ही उक्त वादपत्र धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निहित प्रावधानों में अपूर्ण है व चलने योग्य कतई नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी के दावा के साथ पेश राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट हैं कि आराजी संयुक्त खातेदारी में अंकन रही हैं, जिसमें खातेदारी हिस्से के अनुसार उक्त बंटवारा के दावा में भूमि का रकबा व लगान के प्रत्येक के हिस्से का अलग–अलग अंकन किये बिना व तदनुसार अनुतोष मांगे बिना कतई नहीं चल सकता है। वादीगण के दावा के तथ्य अपूर्ण दर्ज किये है। वादीगण द्वारा गलत तथ्य व आंकडे देने से व बंटवाड़ा के दावा में लगान का उल्लेख किये बिना व लगान का बंटवारा का अनुतोष मांगे बिना दावा विधि वर्जित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के विधिक खातेदारी अधिकारों की कतई नहीं है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न ही कोई विधिक हक–हकूक कभी रहे है, न ही वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। कानूनन कब्जा पाने के अनुतोष के बिना उक्त दावा विधि की दृष्टि विधि वर्जित है, एवं दर्ज किये जाने के योग्य भी नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार दावा पर प्रतिपक्ष को नियत प्रक्रिया अपनाया जाकर तामिली के बाद सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाने के बाद विधिक प्ररिपेक्ष्य में सुनवाई हेतु ग्रहण करने के बिन्दु पर विवेचन कर, जबाब लिया जाकर, विवाधक कायम किये जाकर विवाधकों पर साक्ष्य लिया जाने के बाद मत देकर निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के प्रतिपादित सिद्वान्तों को ताक पर रख कर कथित प्राथमिकी डिक्री पारित की गई जो डिक्री पारित करने की परिभाषा में कतई नहीं आता है एंव ऐसी कथित प्राथमिक डिकी आरम्भ से ही शून्य व अपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1199 रकबा 153.1861 हैक्टेयर में से 1/7 हिस्सा अपीलान्टगण के वालिद यार मोहम्मद द्वारा सन् 1972 के आस–पास खरीद की गई है। विक्रय विलेख निष्पादन के समय यार मोहम्मद के अनपढ़ होने व कम जानकार होने के कारण यार मोहम्मद अपने मामा गुलाम को साथ में लेकर गये एवं यार मोहम्मद के अनपढ़ होने व कम जानकार होने का फायदा उठाकर गुलाम ने रजिस्ट्री में नाम साथ दर्ज करवा दिया एवं बाद में अपने पुत्रों का नाम अपने साथ दर्ज करवा दिया गया। वास्तविक रूप से गुलाम व उनके पुत्रों (वादीगण) का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है, न ही कभी रहा है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण कभी आये ही नहीं है। सन् 1972 में खरीद के वक्त से वादग्रस्त आराजी के रकबा 153.1861 हैक्टेयर में से 1/7 हिस्सा संम्पूर्ण पर यार मोहम्मद का एवं उनके जीवन काल से आज तक लगातार अपीलान्टगण का ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, कब्जा पाये बिना एवं कब्जा पाने का दावा लाये बिना वादीगण उक्तानुसार दावा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दावा पेश करने का विधिक अधिकार नहीं रखते है, न ही उक्त दावा दर्ज किये जाने योग्य रहा है। इस वास्तविकता पर बिना गौर किये जल्दबाजी में कथित प्राथमिक डिकी पारित की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पोकरण द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये गये है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के अनुरूप नही होने से निरस्त योग्य है।

अपील संख्या 61/2025 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री कानून व क्षेत्राधिकार से परे जाकर एंव राजस्व नियमों एव वाद प्रकिया की अनदेखी कर बिना किसी पक्ष को सुने पारित की गई है, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलान्टगण को पूर्व में कोई ज्ञान नही था। अपीलांट्स द्वारा दिनांक 8/12/25 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2025 की नकल प्राप्त कर इसके विरूद्ध अपील करने हेतु अधिवक्ता हरीराम चौधरी से सम्पर्क करने पर वकील साहब ने नकल निर्णय दिनांक 19/11/2025 के अवलोकन के वाद कहा कि इस सम्बन्ध में कथित प्राथमिक डिक्री दिनांक कथित रूप से 08/02/25 को जारी होने का अंकन है, जिस पर पुनः विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर नकलें दिनांक 10/12/2025 को मांगी जो दिनांक 11/12/2025 को प्राप्त हुई। तब सर्वप्रथम ज्ञान होने पर तुरन्त वकील मुकर्रर कर अपील तैयार कर तुरन्त ही उक्त अपील ज्ञान के अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलान्टगण ने जान–बूझकर के देरी नहीं की। ज्ञान के अभाव में हुई देरी सद्भाविक रूप से हुई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 61/2025 अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर दोनो अपीले स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2024 अनवान गुलाम व अन्य बनाम अब्दुल कुदुस इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2025(08.02.2025) एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 नवंबर 2025 को निरस्त फरमाया जावे एवं मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है। रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत वाद में विचारण न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण पर सम्मनों की नियमानुसार तामील करवायी गई है। प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की ओर से बाद तामील अधिवक्ता उपस्थित हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपंरात निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। रेस्पो. के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के मुकाबले अपीलांट के कब्जे के संबंध में किये गये कथन गौण एवं मिथ्या है। तहसीलदार पोकरण द्वारा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 61/2025 को प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद पत्र एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर उन पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये बिना सीधे ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार पोकरण से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है, जिसे कतई विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने के कथन किये गये है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव से भी होती है। विभाजन प्रस्ताव में तैयारी के वक्त तहसीलदार द्वारा मौका जांच में समय इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि मौके पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से उनका कब्जा साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का संपूर्ण विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री समर्थन योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.08.2025 पर अपीलांट्स को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2024 अनवान गुलाम व अन्य बनाम अब्दुल कुदुस इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2025(08.02.2025) एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 नवंबर 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य–सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का पुनः विधिनुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर